<u>कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)</u>

–: विविध आदेश :–

क्रमांक–.....64..... / दो–12–11 / 2014 बैतूल, दिनांक 04 / 05 / 2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य–प्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र कमांक क्यू–12 दिनांक 04 मई 2020 के माध्यम से आवश्यक मामलो की सुनवाई के सबंध में पूर्व में जारी निर्देश परिपत्र कमांक क्यू–5 दिनांक 25–03–2020 में किये गये संशोधन अनुसार अर्जेन्ट प्रकरण में ऐसे प्रकरण भी शामिल है जो कि अंतिम निराकरण, आदेश, अंतिम सुनवाई(अंतिम तर्क), रिमाण्ड, जमानत, किमिनल रिव्हीजन, सिविल अपील आदि से सबंधित है, जिसे दोनो पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता को सुना जाकर निराकरण किया सकता हो एवं जिसमें सबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को किसी प्रकार की साक्ष्य लेखबद्ध करने की आवश्यकता न हो, सबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा। पक्षकारो की उपस्थिति, साक्ष्य तथा अंतरिम आवेदन पर जबाब–तर्क आदि हेतु नियत अन्य सभी प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु सबंधित न्यायालय द्वारा सुविधा अनुसार तिथि नियत की जावेगी। विद्वान अधिवक्ता को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा / प्रोत्साहित किया जावेगा।

कार्यालय के विविध आदेश कमांक 63 / दो–12–11 / 2014 दिनांक 03–05–2020 द्वारा अत्यावश्यक प्रकरणो की सुनवाई व रिमाण्ड के सबंध में लगाई गई ड्यूटी दिनांक 05–05–2020 से 15–05–2020 तक की निरस्त की जाती है एवं उक्त आदेश के द्वारा जरिये व्ही.सी. सुनवाई हेतु निर्मित रिमोट पाईंट कमांक 02(न्यायालय कक्ष कमांक 02) भी समाप्त किया जाता है। दिनांक 05–05–2020 से 15–05–2020 के लिये पूर्व से नियत प्रकरणो के सबंध में आज दिनांक 04–05–2020 को न्यायालयो के द्वारा नियत की गई आगामी तिथि निरस्त की जाने के सबंध में सबंधित न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जावे।

न्यायालयीन कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक संपादित की जावे तथा कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से 02:00 बजे तक रखा जावे तथा पीठासीन अधिकारी अपने आवश्यकतानुसार उनके न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण को शिफ्ट अनुसार अथवा 1/3 या 1/4 की संख्या में बुलाकर सुविधा अनुसार कार्य संपादित करा सकेगें।

प्रारंभ में सीमित संख्या में प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जाने है, जिन्हे धीरे–धीरे बढाया जावेगा एवं प्रत्येक कार्य दिवस में जरिये व्ही.सी. सुनवाई हेतु लिये जाने वाले प्रकरण की सूची एक दिन पूर्व प्रत्येक न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर सायंकाल चस्पा की जावेगी तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर उक्त सूची को अपलोड की जावेगी।

कार्यालय के विविध आदेश कमांक 63 / दो–12–11 / 2014 दिनांक 03–05–2020 का निम्न अंश–"माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र कमांक 6 दिनांक 14.04.2020 एवं परिपत्र कमांक क्यू. 7 दिनांक 20.04.2020 के अनुक्रम में

कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विविध आदेश कमांक 44 दिनांक 26–03–2020, विविध आदेश कमांक 45 दिनांक 28–03–2020, विविध आदेश क्र. 50 दिनांक 14.04.2020, विविध आदेश कमांक 51 दिनांक 16–04–2020, विविध आदेश कमांक 54 दिनांक 21–04–2020, विविध आदेश कमांक 55 दिनांक 22–04–2020, विविध आदेश कमांक 56 दिनांक 24–04–2020, विविध आदेश कमांक 57 दिनांक 25–04–2020, विविध आदेश कमांक 58 दिनांक 29–04–2020, विविध आदेश कमांक 60 दिनांक 30–04–2020 एवं विविध आदेश कमांक 62 दिनांक 01–05–2020 में लॉक–डाउन अवधि में न्यायालयीन कार्यवाही हेतु वर्णित निर्देशो को माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र कमांक क्यू. 11 दिनांक 02.05.2020 के आलोक में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ाया जाता है", इस आदेश का भाग होगा।

अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नही होगे वरन् वीडियो–कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से व्ही. सी.रूम/रिमोट पाईंट पर उपस्थित होकर तर्क आदि कर सकेगें ।

प्रत्येक न्यायाधीशगण द्वारा किये गये न्यायिक कार्य का विवरण प्रत्येक शनिवार तथा शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार सायंकाल 04:00 बजे तक कार्यालय में आवश्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय की ओर भेजे जाने हेतु प्रस्तुत करेगें।

कोई भी न्यायिक कर्मचारी न्यायालय में आने–जाने के अतिरिक्त गैर–शासकीय उद्देश्य से सबंधित पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने निवास स्थान से प्रस्थान नही करेगें।

संलग्न–रजिस्ट्री सर्कुलर कमांक–12
की प्रति।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठां. क. 404 /दो–12–11/2014 बैतूल,दिनांक 04/05/2020

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल
3. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट बैतूल।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैसदेही
   श्री कमलेश इटावदिया/श्री अनुज त्यागी/श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. दंदेलिया/श्री हरप्रसाद बंशकार/श्री सुशील कमार जोशी/श्री कृष्णदास महार/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
5. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
6. श्री दीनानाथ वाड़िवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
7. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही
   श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम

8. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
सुश्री श्वेता खरे/श्रीमती कमला गौतम/श्री विनोद अहिरवार/श्री सिद्धार्थ शर्मा ।
9. प्रशिक्षु न्यायाधीश बैतूल
(श्री दीपेन्द्र मालू, सुश्री पूर्वी तिवारी, श्री अजय उईके, सुश्री प्रियंका कुशवाह, श्री कौस्तुभ खेडा, श्री आशीष मिश्रा, श्री विशाल रिछारिया, श्री अभिषेक साहू, श्री कृष्णा वोहरा, श्री अंशुल चन्द्रा)
10. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
11. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत/अभिलेखागार/प्रतिलिपि/ग्रंथालय/मालखाना/सांख्यिकीय/लेखा/पंजीयन/तलवाना/बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही
13. जिला दण्डाधिकारी, बैतूल।
14. पुलिस अधीक्षक, बैतूल।
15. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।
16. लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल/ मुलताई/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त परिपत्र की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित की जाने एवं पालनार्थ प्रेषित।
18. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-12 Jabalpur, Dated 04th May, 2020

Acct
04.5.20

Sub.: COVID-19 - Nation wide lock down - further directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.: Order No.Q5 dated 25-03-2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

In the reference circular, after clause– 4 and before clause– 5 following shall be added that will be applicable to all the Subordinate Courts (except District Indore, Bhopal & Ujjain) from 04/05/2020 until further orders:

4.1 Including urgent cases, those cases shall also be taken for hearing which are at the stage of disposal, order, final hearing, remands & bails, criminal revisions, civil appeals etc. which can be decided only by hearing of Advocates of both the parties without taking any oral evidence by the Presiding Officer of the concerned Court. Presiding Officers are also directed to request to the Learned Advocates to file the written arguments.

4.2 The requirements of court staff shall be arranged in such a manner that no rush should be in the court premises but at the same time no work should suffer due to shortage of staff, for this purpose employees may be called in shift and if possible only 1/3 or 1/4 staff may be called on each working day, except officers/employees residing in Containment Zones/Hotspots, with further instructions that the remaining staff will remain available at his residence during the office hours and if required be called at any time, no one shall leave his residence for non-official purpose without permission of the concerned Presiding Officer.

Scanned with CamScanner

The District Judges shall ensure that at every place where Advocates and public is entering in Court premises the protocol of wearing mask, sanitization and social distancing shall be strictly followed and for this purpose circles with minimum one meter distance be made. The Guidelines issued by High Court for conducting hearing through Video Conferencing and other Guidelines issued by High Court, Central & State Government to combat with outspreading of Coronavirus (Covid-19) shall be followed in letter & spirit. The Clause– 22 of VC Guidelines dated 20/04/2020 will be read in consonance with these amendments.

The progress report by all District & Sessions Judges shall be sent to the Registry every week i.e. up to every Sunday morning for weekly review

BY ORDERS OF HON'BLE
THE CHIEF JUSTICE

4/5/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Scanned with CamScanner